07/08/2022	पत्रावली आज पेश हुई। बमुलाहजा पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 14/09/23 को पेश हो।	
14/09/2023	पत्रावली आज पेश हुई। बमुलाहजा पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 23/01/24 को पेश हो।	
23/01/2024	बमुलाहजा फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब मय सहमती प्रस्तुत कर सहमती से रास्ता दिये जाने की सहमती प्रदान की गई। सहमती के साथ परिशिष्ट 'ज' प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ~~क~~ परिशिष्ट 'ज' पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा भी सहमती प्रदान की गई। अतः दोनों पक्षों [illegible] सहमती के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कमल कुमार [illegible] दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	(प्रार्थी अधिवक्ता) (विप्रार्थी अधिवक्ता)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2024.02.29 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री संजय कुमार गोरा, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 360 / 2021 दिनांक :– 23/01/24

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. हनूमानराम पुत्र पुरखाराम 2. पोकरराम पुत्र वेहनाराम 3. रतनाराम पुत्र वेहनाराम 4. कुंभाराम पुत्र वेहनाराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर, पनावड़ा तहसील बायतु जिला बालोतरा	बनाम	1. खेताराम पुत्र धनाराम 2. हनुमानराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर, पनावड़ा तहसील बायतु जिला बालोतरा 3. तहसीलदार बायतु 4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बायतु

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री खेताराम जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री जगदीश गोदारा अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 2

आदेश

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 627 रकबा 23.2992 हैक्टेयर ग्राम प्रेमनगर पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 630 रकबा 13.5508 हैक्टेयर में से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालातनामा व जवाब मय नक्शा पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2024.02.29 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को तहरीर जारी की गई। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु से प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। चाहे गये रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बरंग रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का रकबा खसरा नम्बर 630 में से 0.0081 हैक्टेयर है।

विप्रार्थीगण संख्या 2 के वकील द्वारा जवाब मय नक्शा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में से समर्पित भुमि खसरा नम्बर 703/627 मे बने राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोगासर सांईयों की ढाणी के आवागमन हेतु हमारे खातेदारी खेत में से रास्ते का उपयोग कर रहे है। उसी रास्ते को जो जवाब के साथ संलग्न नक्शा **परिशिष्ट–ब** में जो बरंग दर्शाया गया है को निःशुल्क देने हेतू सहमती पेश की गई जिसे प्रार्थी वकील द्वारा स्वीकार किया गया।

हमने प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है साथ ही चाहा गया मार्ग लघुतम है। परन्तु उक्त आवेदन में विप्रार्थी द्वारा सहमती दी गई है।

अतः विप्रार्थी द्वारा दी गई सहमती के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रेमनगर पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु खसरा नम्बर 627 रकबा 23.2992 हैक्टेयर तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 630 में से विप्रार्थीगण द्वारा जवाब के साथ संलग्न नक्शा **परिशिष्ट–ब** में जो [illegible] द[illegible] अनुसार 15 फिट चौड़ा रास्ता आपसी सहमति से निःशुल्क कायम किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2024.02.29 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

उक्त आदेश के अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि को अप्रार्थीगणों की खातेंदारी से हटाते हुए राजकीय खातें में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करें। इस आदेश के आधार पर प्रार्थीगण को रास्तें के लिए प्रस्तावित भूमि पर अन्य कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

आदेश आज दिनांक 23/01/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2024.02.29 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested